विद्यालय बचाव एवं सुरक्षा

उद्देश्य : विद्यालय बचाव एवं सुरक्षा पर शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में जारी किए गए निर्देशों का उद्देश्य विद्यालय परिसर को छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित बनाना, उनमें स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास करना, समाज के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक बनाना तथा किसी भी छात्र–छात्रा के साथ लिंग, जाति, समुदाय आदि के आधार पर भेद–भाव नहीं करना है साथ ही विद्यालय बचाव एवं सुरक्षा के हितधारकों को अपनी जिम्मेदारियों का अहसास कराना एवं जिम्मेदारियों का पालन न होने पर विभिन्न कानूनी प्रावधानों पर समझ विकसित करना।

विद्यालय बचाव एवं सुरक्षा पर शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन में समस्त प्रदेश के प्राथमिक स्तरीय 31072 तथा माध्यमिक स्तरीय 26057 विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित हो रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विद्यालय बचाव एवं सुरक्षा के निम्नवत पहलुओं पर मॉड्यूल तैयार कर प्रशिक्षण एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान से सम्पन्न कराया जा रहा है।

1. आधारभूत संरचना
2. स्वास्थ्य और स्वच्छता
3. मनोसामाजिक पहलू
4. शिक्षकों एवं संस्थाध्याक्षों की भूमिका और उत्तरदायित्व
5. निगरानी